

ऑफिस परिसर सं० - ०८०९०३८
२१६

पत्र सं०-वैट-(०८-०९) // विज्ञप्ति //

// वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र०

(वैट अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // १६ जून, २००८

समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१,

वाणिज्य कर, उ०प्र० ।

मुख्यालय के परिपत्र सं०-५८७ दिनांक ०८-०२-०८ द्वारा वित्तीय वर्ष २००७-०८ (दिनांक ०१-०१-०८ से दि० ३१-३-०८ तक) तथा आगामी वर्षों के लिए शासन द्वारा केवल प्रान्त के अंदर से खरीदे गये माल को प्राप्त के अंदर पुनर्विक्रय का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के लिए जारी समाधान योजना में दिये गये प्राविधान के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र / अनुबन्ध का प्रारूप प्रेषित किया गया था ।

शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं०-क०नि०-२-१५३३/ग्यारह-९(२)/८-उ०प्र०अधि०-५ -२००८-आदेश-(२३)-२००८ दिनांक ३०-५-०८ द्वारा उपरोक्त प्रकार के व्यापारियों हेतु वर्ष २००८-०९ से संबंधित समाधान योजना प्रसारित की गयी है जिसमें समाधान राशि १ प्रतिशत के स्थान पर आधा प्रतिशत कर दिया गया है । जारी विज्ञप्ति में कर निर्धारण वर्ष २००८-०९ हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि अधिसूचना के दिनांक के ३० दिन के अन्दर तथा किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु ३० अप्रैल तक निर्धारित की गयी है । फोल्ड के अधिकारियों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि क्या पूर्व में जारी समाधान योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र / अनुबन्ध में कोई परिवर्तन किया गया है ?

इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि विज्ञप्ति सं०-२५१ दि० ०४-०२-०८ द्वारा वर्ष २००७-०८ तथा आगे के वर्षों हेतु जारी समाधान योजना में निर्धारित प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र / अनुबन्ध का जो प्रारूप परिपत्र सं०-५८७ दि० ०८-०२-०८ द्वारा प्रसारित किया गया था, वह विज्ञप्ति सं०-१५३३ दि० ३०-५-०८ के लिए भी यथावत् लागू रहेगा । विज्ञप्ति सं०-१५३३ दि० ३०-५-०८ द्वारा वर्ष २००८-०९ हेतु जारी समाधान योजना में केवल समाधान राशि १ प्रतिशत के स्थान पर आधा प्रतिशत कर दी गयी है । यदि किसी व्यापारी ने निर्धारित प्रारूप में विज्ञप्ति सं०-विज्ञप्ति सं०-२५१ दि० ०४-२-०८ द्वारा प्रसारित समाधान योजना के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष २००८-०९ हेतु प्रार्थना पत्र समयान्तर्गत प्रस्तुत कर दिया है तो वह भी स्वीकार्य होगा तथा उस पर समाधान शुल्क विज्ञप्ति सं०-१५३३ दि० ३०-५-०८ में निर्धारित शुल्क के अनुसार देय होगा ।

उपरोक्त जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(दीपक कुमार)

कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०,
लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक — उक्त ।

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
२. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।
३. श्री एस०सी०द्विवेदी/श्री यू०सी०दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।
४. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र० ।
५. समस्त एडीशनल कमिशनर/ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
६. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।

7. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)/ (वि०अनु०शा०)/ (अपील)/ कॉरपोरेट सर्किल/ ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
9. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
10. प्रबन्धक, इंसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
11. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
12. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू ऑडिट विंग, स्टेट ऑफिस ऑफ द ए०जी०ऑडिट, 11-सरोजनी नॉयडू मार्ग, इलाहाबाद।
13. विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
14. ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमिशनर/ असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
15. ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमिशनर/ असिस्टेन्ट कमिशनर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/ लखनऊ।
16. मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियां।
17. वैट अनुभाग को 100 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियां।
18. समस्त डिप्टी कमिशनर/ असिस्टेन्ट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
19. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
20. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, 185/293, अमीनाबाद रोड, लखनऊ।
21. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
22. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 87/349, आर्यनगर, संगीत टाकीज के पीछे, कानपुर।
23. श्री बनवारी लाल कंचल, अध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, कंचल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
24. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास, दारुलसफा, लखनऊ।
25. मर्वेन्ट चेम्बर ऑफ कॉमर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
26. एसोसिएटेड चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डो, 2/210, विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
27. पी०एच०डी० चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डो, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
28. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राईट बेबी साईकिल इण्ड, ऐशबाग रोड, लखनऊ।
29. आल इण्डिया मैन्यूफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन, डी-4, साईट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
30. कनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डो एसो, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
31. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/ सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर के माध्यम से।
32. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय, 10 इन्जीनियर्स कॉम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
33. श्री शिव कुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश, टैक्स बार एसो जमुना विहार, एस०एस० कॉलेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
34. प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
35. श्री मदन मोहन भारतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ०प्र० शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर।
36. प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
37. डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
38. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी० टैक्स बार एसो, 235, सीताराम, आजमगढ़।
39. श्री अशोक धवन, सी०के०-24/1, कुंज गली, चौक, वाराणसी।
40. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल, 707, पंचशील कॉलोनी, महाबीर चौक, मुजफ्फरनगर।
41. श्री पी०एस० जैन, 138-ए, ब्लॉक-ए, सेक्टर-27, नोएडा।
42. श्री ब्रित चावला, महासचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र० ट्रक ऑपरेटर्स फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर।
43. श्री आर०डी० गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।

44. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60—चाहचन्द, इलाहाबाद।
45. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मण्डल, उ0प्र0, 19—सुरेश बाग, कानपुर।
46. इण्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मुजफ्फरनगर।
47. संयोजक, टैक्सेशियो एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो0, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउण्ड, कैसरबाग रोड, मेरठ।
48. टैक्सेशन बार एसोसिएशन, ट्रेड टैक्स बार रूम, जयपुर हाउस, आगरा।
49. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0स्टेट लि0, 51—बी, उद्योग नगर, कानपुर।
50. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0, 3—एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
51. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0, 51/58—ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।
52. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0, 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
53. श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ।
54. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारूलशफा, लखनऊ।
55. माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
56. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री, ऑल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27—ए, मिशन कम्पाउण्ड, मेरठ।
57. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कॉपी व्यवसायी संघ, 6/6—ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।
58. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेज-2, गोमतीनगर, लखनऊ।
59. वैट लॉ जरनल, 10, नगर निगम कम्पाउण्ड, कैसरगंज रोड, मेरठ।
60. श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय, इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।
61. श्री मनीष शर्मा, लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर-15/5, राजनगर, गाजियाबाद।
62. श्रीमती इन्दू मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन्स, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।